

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री सुखबीर सिंह दलाल
दिनांक : 07.08.2018
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 132
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में सभी टोल टैक्स जिन ठेकेदारों या कम्पनियों को दिये गये हैं, उनका विवरण दें, एतदसंबंधी कार्रवाई का ब्यौरा दें	कार्यालय निदेशक स्थायी निकाय, टोल टैक्स, पथकर विभाग:- वर्तमान में सभी टोल टैक्स नाकों पर टोल टैक्स तथा पर्यावरण क्षति पूर्ति शुल्क Environment Compensation Charge (ECC) की वसूली का कार्य M/s एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर लि. ठेकेदार कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टोल टैक्स तीनों नगर निगमों कि तरफ से उपरोक्त कम्पनी टैक्स वसूल करती है तथा केवल एक ठेकेदार जिसका वर्णन ऊपर किया गया है के द्वारा वसूल किया जाता है। इस कम्पनी से यह अनुबन्ध 01.10.2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।
ख	अब तक दिल्ली में किस कम्पनी द्वारा किस-किस अवधि में कितना ग्रीन टैक्स कलेक्शन किया गया,	कार्यालय निदेशक स्थायी निकाय, टोल टैक्स, पथकर विभाग:- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, जोकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरफ से टोल टैक्स तथा पर्यावरण क्षति पूर्ति शुल्क Environment Compensation Charge (ECC) वसूल करता है। अतः ग्रीन टैक्स कलेक्शन तीनों नगर निगमों द्वारा वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है उपरोक्त के सन्दर्भ में ग्रीन टैक्स तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति टैक्स परिभाषित करना जरूरी हो जाता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके पत्र क्रमांक 444 दिनांक 09.08.2018 द्वारा सूचना प्रदान की गई है कि- "ग्रीन टैक्स उन वाहनों से लिया जाता है जिनका परिचालन 10 साल से अधिक/ऊपर हो। कॉपी संलग्न है। 1. Total ECC collected w.e.f. 06.11.2015 midnight upto week ending 5 th July 2018. (Since 06.07.2018, the contractor has not deposited ECC collected) (i) ECC Collected by M/s SMYR Consortium LLP for the period 06.11.2015 midnight to 01.02.2016 (5.59 a.m.) = Rs. 87,49,12,000/- (ii) ECC Collected by M/s DEP TOLLS LLP for the period 01.02.2016 6.00 a.m. to 01.10.2017 (5.59 a.m.) = Rs. 8,69,81,85,300/- (iii) ECC Collected by M/s MEP Infrastructure Developers Ltd. for the period 01.10.2017 (6.00 a.m. to 05.07.2018 = Rs. 3,15,87,90,000/- Total Rs = 12,73,18,87,300/- 2. Transferred to G.N.C.T.D. Rs. 10,54,87,79,501/- 3. Retention from ECC Amount by SDMC @ 1.00 Crore per week (as per directions of Hon'ble Apex Court/ EPCA) Rs. 1,27,00,00,000/- 4. Amount Retained for RFID Project as per orders of Hon'ble supreme court dated 22.08.2016 Rs. = 84,04,77,000/- 5. Compensation granted by Supreme Court to SDMC vide order dated 07.01.2016 in case M.C. Mehta Vs UoI & Ors. WP (C) 13029/1085 Rs. = 7,26,30,799/-
ग	सभी कम्पनीज द्वारा पिछले दो माह में किए गए ग्रीन टैक्स कलेक्शन में अंतर बताएं, और	कार्यालय निदेशक स्थायी निकाय, टोल टैक्स, पथकर विभाग:- उपरोक्तानुसार
घ	अंतर का कारण बतायें ?	कार्यालय निदेशक स्थायी निकाय, टोल टैक्स, पथकर विभाग:- उपरोक्त 'ख' के अनुसार

कार्यालय निदेशक स्थायी निकाय
टोल टैक्स (पथकर विभाग)
14वां तल, डा0 श्यामा प्रसाद सिविक सेन्टर,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली - 110002

क्रमांक: 444

दिनांक 09.08-2018


विषय:- श्री सुखवीर सिंह दलाल द्वारा पूछे गए दिल्ली विधान सभा अतारांकित प्रश्न नम्बर 132 के संबंध में ।

इस विभाग द्वारा उपरोक्त प्रश्न का प्रतिउत्तर पत्र संख्या क्रमांक 426 दिनांक 06-08-2018 के माध्यम से उपनिर्देशक स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार को प्रेषित किया गया था । (प्रतिलिपि संलग्न)

आज दिनांक 09-08-2018 को इस संबंध में प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार के कार्यालय कक्ष में चर्चा हुई चर्चानुसार पूरक प्रतिउत्तर निम्नलिखित है ।

ग्रीन टैक्स उन वाहनों से लिया जाता है जिसका परिचालन 10 साल से अधिक/ऊपर हो । तीनों दिल्ली नगर निगमों द्वारा ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया है ।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के उपरांत जारी किया जा रहा है ।


सहायक आयुक्त
(पथकर विभाग)

✓ प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. आयुक्त - द0दि0न0नि0 / उ0दि0न0नि0 / पू0दि0न0नि0
2. अति0 आयुक्त (पथकर विभाग)- द0दि0न0नि0
3. उपनिर्देशक स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार
4. अति0 उपायुक्त - पथकर